कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI
Ph. No/Fax No :- 01372-222156 E Mail :-eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 137 / 11सी0 दिनांक 18 / 02 / 2019

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः— चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलिखयाना—पोखरी हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देराहदून का पत्र सं0 1926 / FP/UK/ROAD/29719/2017 दिनांक 11.01.2019।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलियाना—पोखरी हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

कं0सं0	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Regrading point no.I SDLC proceedings is uploaded photocopy and without date. State Govt. may upload original hard copy of SDCL Proceedings with date.	The Objection has been corrected and uploaded at required part 1 online.
02	In reply to point 4 no of trees mentioned in part II are 46 out of which 26 are in 0-10 dia but hard copy mentioned 147 out of which 101 in 0-10 din which is huge difference.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO.
03	In reply to point no 5 justfication submitted in hard copy in not satisfactory. State Govt may review and sunmit correct justification for the same.	The Objection has been corrected and uploaded at required part 1 online.

उपरोक्त आपत्तियों की मूल प्रति सहित 3 प्रतियों में प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः— **उपरोक्तानुसार।**

18/02/19

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
पोखरी (चमोली)

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकास खण्ड पोखरी में चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा–पोखरी मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा** के नव निर्माण हेतु **3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 13/12/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** G. R. Binwal, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री G. R. Binwal .... उपजिलाधिकारी पोखरी .... अध्यक्ष
2– श्री [signature] .... उप प्रभागीय वनाधिकारी [signature] .... सदस्य
3– श्री पिंकी मंगलवान .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature] .... सदस्य/सचिव
4– श्री प्रभा देवी .... बी०डी०सी० क्षेत्र प्रभा देवी .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का लो०नि०वि० **पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पोखरी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल वन भूमि** का **लो०नि०वि०** पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

13/12/18
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/12/18
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

उप जिलाधिकारी पोखरी

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा हरशिंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा नखोलियाणा के मोटर मार्ग हेतु 0.63 है0 वन पंचायत भूमि सिविल भूमि 2.38 है0एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.26 है0 कुल 3.27 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन संरक्षक द्वारा दिया दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

क0 सं0	भूमि की श्रेणी	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										
				0—10	10—20	20—30	30—40	10—50	50—16	60—70	70—80	80—90	90 से अधिक	योग
1	सिविल भूमि पोखरी	बांज	Quercus leucotric-hoohora	99	23	8	3	2						135
	योग			99	23	8	3	2						135
10	पंचायती व न भूमि	बांज	Quercus leucotric-hoohora	2	3	7								12
	योग			2	3	7	0	0						6
10	नाप भूमि	बांज	Quercus leucotric-hoohora	1	4	1								6
	योग			1	4	1								153
11	कुलयोग			102	30	16	3	2						

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

वन संरक्षक

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा हरशिंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा नखोलियाणा के मोटर मार्ग हेतु 0.63 है0 वन पंचायत भूमि सिविल भूमि 2.38 है0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.26 है0 कुल 3.27 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित वन भूमि में प्रभवित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र।

क0 सं0	भूमि की श्रेणी	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										
				0–10	10–20	20–30	30–40	10–50	50–16	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	सिविल भूमि पोखरी	बांज	Quercus leucotric-hoohora	99	23	8	3	2	–	–	–	–	–	135
योग सिविल भूमि				99	23	8	3	2	–	–	–	–	–	135
10	पंचायत ीव न भूमि	बांज	Quercus leucotric-hoohora	2	3	7	–	–	–	–	–	–	–	12
योग पंचायती भूमि				2	3	7	0	0	–	–	–	–	–	12
10	नाप भूमि	बांज	Quercus leucotric-hoohora	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	6
2	मजनू		Misc. Species	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
3	देवदार		Cedrus deodara loud.	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	5
4	भीमल		Grewia optiva Roxb.	1		–	–	–	–	–	–	–	–	1
5	तिमला		Ficusroxburghii wall	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
6	पदम		Prunescerasoides D.Don.	1		–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	काफल		Myrcaesculenta Buncham ex.d.don	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
8	अयार		Lyoniaoavlifolia	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
9	बुरांस		Rhododendron arboreum smith	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10	खडीक		Celtis eriocarpa Decaisne	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
योग नाप भूमि				07	10	4	2		–	–	–	–	–	–
कुल योग				108	36	19	05	02	–	–	–	–	–	170

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत चोपड़ा–हरिशंकर से पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 कि0मी0।

यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण 9 हेयरपिन बैण्ड पड़तें हैं तथा वृक्षों की संख्या कम प्रभावित होती है।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू–गर्भ वेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं0 11 है तथा वृक्षों की संख्या अधिक प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

18/01/19

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।